न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आरए0ए0एस0

प्रकरण संख्या–56 / 2024 जी.सी.एम.एस. पॉर्टल नम्बरः– 2024 / 198

उनवानः–

1. नरेश पुत्र गजराज सिंह उर्फ गज सिंह
2. रामवती पत्नि गजराज सिंह उर्फ गज सिंह
3. हीरा सिंह पुत्र गजराज सिंह उर्फ गज सिंह
   समस्त जातिगण ठाकुर समस्त निवासीगण ग्राम बरैठा तहसील मनियां

————————————————वादीगण

बनाम

1. अमरेश पुत्र गजराज सिंह उर्फ गज सिंह
2. राकेश पुत्र वीरी सिंह
3. मनोज पुत्र वीरी सिंह
   समस्त जातिगण ठाकुर समस्त निवासीगण ग्राम बरैठा तहसील मनियां
4. लोचन सिंह पुत्र जसराम जाति कुशवाह निवासी ग्राम शाला का पुरा बरैठा तहसील मनियां

————————असल प्रतिवादीगण

5. तहसीलदार मनियां वहैसियत लैण्ड होल्डर

—————————————— तरतीवी प्रतिवादी

दावा वास्ते बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री हरिवीर सिंह, एडवोकेट,वादीगण की ओर से

दिनांक 09 .06.2025

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि ख.नं. 374 रकवा 0.4805 है0 वाके ग्राम देवगढ तहसील मनियां तथा आ.ख.नं. 1430 रकवा 0.3288 है. व 1431 रकवा 0.2908 है0 वाके ग्राम बरैठा तहसील मनियां प्रकरण में विवादित आराजी है। वादी व प्रतिवादीगण प्रकरण में विवादित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा संयुक्त कब्ज काश्त की शामलाती कृषि भूमि है। प्रतिवादीगण लठ्ठ व चलाव वाले व्यक्ति है जो धनबल व बाहुबल के आधार पर विवादित कृषि भूमि के कीमती व उपजाऊ भाग पर बिना बंटवारा कराये अवैध रूप से अपना कब्जा करने व वादीगण को विवादित आराजीयात से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को ऐलानियां धमकी दी है कि

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण अकेले ही कृषि करेंगें। प्रतिवादीगण बंटवारे से इंकारी हो गए है। अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर प्रकरण में विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री हरीसिंह बघेला एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 04 की ओर से किसी के उपस्थित नही आने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2076 खाता संख्या 93 वाके ग्राम देवगढ तथा खाता संख्या 270 वाके ग्राम बरेठा पेश की।

दिनांक 31.01.2025 को वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 के अभिभाषक की सहमति से दावा वादी प्रारंभिक डिक्री किया जाकर प्रकरण में विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने के आदेश दिए गए। आदेशानुसार तहसीलदार मनियां से विभाजन प्रस्ताव तलब किए गए। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से किसी के उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध दिनांक 28.03.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार मनियां के पत्रांक राजस्व/कोर्ट/461 दिनांक 15.05.2025 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीगण को एकपक्षीय सुना गया। वकील वादीगण ने दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किये जाने का कथन किया।

वकील वादीगण को एकपक्षीय सुनने उपरान्त हम दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रकरण में विवादित आराजी ख.नं. 374 रकवा 0.4805 है0 वाके ग्राम देवगढ तहसील मनियां तथा आ.ख.नं. 1430 रकवा 0.3288 है. व 1431 रकवा 0.2908 है0 वाके ग्राम बरैठा तहसील मनियां का निम्नानुसार खातेदारों के मध्य विभाजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

आ.ख.नं. 1430 रकवा 0.3288 है. व 1431 रकवा 0.2908 है0 वाके ग्राम बरैठाः–

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकवा (है0)	बांके ग्राम
1.	नरेश पुत्र गजराज उर्फ गजसिंह हि. 1/3 हीरासिंह पुत्र गजराज उर्फ गजसिंह हि. 1/3 रामवती पत्नि गजराज उर्फ गजसिंह हि. 1/3 जाति ठाकुर सा.देह खातेदार	1430/1 1431/1 (पश्चिम दिशा)	0.1233 0.1091	चा0प्र0 जा0प्र0
2.	अमरेश पुत्र गजराज उर्फ गजसिंह हि. 1/5, राकेश	1430/2	0.2055	चा0अ0

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

	पुत्र वीरीसिंह हि. 2/5, मनोज पुत्र वीरीसिंह हि. 2/5 जाति ठाकुर सा.देह खातेदार	1431/2 (पूर्व दिशा)	0.1817	

आराजी ख.नं. 374 रकबा 0.4805 है0 वाके ग्राम देवगढ़ः–

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा (है0)	बांके ग्राम
1.	नरेश पुत्र गजसिंह हि. 1/3 हीरासिंह पुत्र गजसिंह हि. 1/3 रामवती पत्नि गजसिंह हि. 1/3 जाति ठाकुर सा.बरैठा खातेदार	374/1 (पूर्व दिशा)	0.1802	बा.दो.
2.	अमरेश पुत्र गजसिंह हि. 1/5, राकेश पुत्र वीरीसिंह हि. 2/5 जाति ठाकुर सा. बरैठा खातेदार लोचन सिंह पुत्र जसराम हि. 2/5 जाति काछी (कुशवाह) सा. शाला का पुरा खातेदार	374/2 (पश्चिम दिशा)	0.3003	बा.दो.

राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार इन्द्राज किये जाकर खाता एंव लगान पृथक–पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09 .06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर